क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम– Other Training
बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष– DPMU Training
बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या – A.9.8.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण – राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्वेश्यों की प्राप्ति हेतु यह आवश्यक हैं कि जिला स्वास्थ्य प्रबंधन ईकाई के सदस्यों का क्षमता विकास निरंतर किया जाय। विशेष रूप से जन स्वास्थ्य एवं सामुदायिक सहभागिता के विभिन्न आयामों पर कौशल विकास से सम्बंधित प्रशिक्षणो में पदाधिकारियों को भेजने का निर्णय राज्य स्वास्थ्य समिति ने लिया है। जिला स्वास्थ्य प्रबंधक ईकाई के पदाधिकारी स्वयं यह निर्णय ले सकते हैं कि उन्हे किन विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त करना हैं एवं इसके लिए किस संस्थान का चयन किया जायेगा।

इसी प्रकार प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधन ईकाई के सदस्यों के भी कौशल विकास हेतु विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण की गतिविधि आयोजित की जा सकती हैं। जिसका निर्णय स्वयं प्रखण्ड प्रबंधन ईकाई के सदस्य कर सकते है। प्राथमिकता के आधार पर प्रशिक्षण के लिए उन मुद्दो का चयन किया जाये जिसकी आवश्यकता जिला या प्रखण्ड प्रबंधन ईकाई के सदस्यों को है क्योंकि उस कौशल के अभाव में उनके कार्यो में गुणवत्ता का अभाव राज्य एवं जिला स्तरीय समीक्षात्मक बैठको में चिन्हित किया जाता है।

इकाई राशि (रू०) – ` 25,000 प्रति जिला ।

वित्तीय दिशा निर्देशन–

(क) DPMU एवं BPMU में कार्यरत सभी कर्मियों के किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला से सम्बंधित गतिविधियों हेतु यह राशि प्रत्येक जिले को दी जा रही है जिसे जिला एवं प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए खर्च किया जाना है। जिसकी सूचना राज्य स्तर पर प्रदान करनी आवश्यक है। प्रशिक्षण हेतु यात्रा, रहने एवं खान–पान इत्यादि का खर्चा इस मद् से किया जाना है। इस मद् में प्रति जिला 25,000/– रू0 की राशि कर्णांकित की जा रही है । इसके मद् के लिए नोडल पदाधिकारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक होंगे।

(ख) राज्य स्तर पर 1,50,000/– रू0 की राशि रखी गई है। जिसे SPMU / DPMU / BPMU के किसी भी स्तर के कर्मियों के क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम पर खर्च किया जायेगा।

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम–डा० जयती श्रीवास्तव, उपनिदेशक–प्रशिक्षण
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नंबर– 0612-3244041, 9470003019